Global Multidisciplinary Research Journal
A Peer Reviewed/Refereed Bi-Annual Research Journal of Multidisciplinary Researches
Volume 1 Issue 1 September 2016, pp. 48-52
ISSN: 2456-4583
Global Development Society
6, New Tilak Nagar, Firozabad-283203 (UP)

ब्रिटिश भारत में नवीन पाश्चात्य शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ. प्रतिभा

शिक्षिका, दाऊ दयाल गर्ल्स इन्टर कॉलेज, फिरोजाबाद

प्राप्ति- 18 अगस्त 2016, **संशोधन**- 20 अगस्त 2016, **स्वीकृति**- 22 अगस्त 2016

प्रस्तावना

सन् 1858 में ब्रिटिश सम्राट के हाथों में कम्पनी शासन का हस्तान्तरण हो जाने के बाद पश्चिम से भारत के सम्बन्ध अधिक सशक्त एवं प्रत्यक्ष ढंग से प्रारम्भ हुए। सरकार ने भारत में अंग्रेजी ढंग की संस्थाओं एवं शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया।

कम्पनी के शासन एवं ब्रिटिश शासन काल के अन्तर्गत शिक्षा नीति एवं शिक्षा के विकास से सम्बद्ध जानकारी हेतु निम्न स्त्रोतों की सहायता प्राप्त होती है, जिनमें सन् 1951 में नुरूल्लाह एवं नायक द्वारा किया गया लेखन कार्य विशेष महत्व का है।[1] इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्त्रोतों में, मैकाले की शैक्षिक विज्ञप्ति (1835),[2] वुड की शैक्षणिक विज्ञप्ति 1854,[3] लॉर्ड ऐलनबरो का डिसपैच 1858,[4] भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1885,[5] भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट 1904,[6] भारत सरकार की वार्षिक व पंचवर्षीय रिपोर्ट इत्यादि हैं।

इस काल में अनेक अंग्रेज अधिकारियों एवं ईसाई धर्म प्रचारकों का यह मत था कि भारतीयों के चरित्र एवं नैतिकता के क्षेत्रों में बहुत अधिक पतन हो चुका था। भारतीय भ्रम, अज्ञानता, तथा अन्य निकृष्ट व्यसनों से ग्रसित थे। इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का वे एक ही उपाय मानते थे। उसके सम्बन्ध में ग्रांट ने इस प्रकार कहा - "अंधकार को दूर करने का वास्तविक उपाय प्रकाश का समावेश करना है। हिन्दू गलती करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं और उनकी गलतियों को कभी ठीक से उनके सामने नहीं रखा गया है। यदि हम अपने प्रकाश और ज्ञान को उन तक पहुँचा दें तो उनके विचारों का यह सबसे अच्छा उपचार होगा। इस उपचार का प्रस्ताव इस पूर्ण विश्वास के साथ किया जा रहा है कि यदि इसे विवेक सम्मत रूप से और धैर्यपूर्वक किया गया तो हिन्दुओं पर इसका भारी और सुखद प्रभाव पड़ेगा।"[7]

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा ही किए गए।[8] इस अभिकरण में केवल ईसाई धर्म प्रचारक ही नहीं वरन् बड़ी संख्या में कम्पनी के ऐसे अंग्रेज कर्मचारी भी थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्य किया था।[9] साथ ही, कुछ ऐसे अंग्रेज और गैर-सरकारी, जिनमें मुख्यतः व्यापारी थे, ने भी समाज सेवा के रूप में शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य किया था।[10]

जहाँ तक ईसाई धर्म-प्रचारकों के प्रयत्नों का संबंध है, उनका लक्ष्य धर्म परिवर्तन करना था। धर्म परिवर्तन सम्बन्धी क्रिया-कलापों के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए वे शैक्षिक कार्य प्रारम्भ करने के लिए बाध्य थे। परन्तु इसके साथ ही, वे पाश्चात्य प्रबुद्धता को अज्ञानता की समाप्ति के लिए भी आवश्यक मानते थे। इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन के साथ ही अज्ञानता को दूर करने के प्रयत्न भी किए।[11]

इस क्षेत्र में शासन ने 1813 ई. के बाद ही प्रयास किए। 1813 के कम्पनी के चार्टर अधिनियम में शिक्षा के लिए प्रथम बार अलग से वित्तीय अनुदान दिया गया। इस व्यय में, भारत के ब्रिटिश राज्य क्षेत्र के निवासियों के बीच विज्ञान की शिक्षा के संवर्धन हेतु प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लाख रुपया व्यय किए जाने का प्रावधान रखा गया।

सर्वप्रथम, शासन ने पूर्व के ज्ञान का प्रसार संस्कृत तथा फारसी के माध्यम से किए जाने का समर्थन किया। परन्तु शीघ्र ही शिक्षा-माध्यम के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो गया।

प्रथम मत था कि पूर्व के अध्ययन का विकास भारतीय भाषाओं में किया जाए, द्वितीय मत था कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाए, तृतीय मत था कि यूरोप के साहित्य तथा विज्ञान को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विकसित किया जाए।

इस विवाद का अन्त 1835 ई. में मैकाले के विवरण पत्र से ही हुआ। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह स्पष्ट किया कि पाश्चात्य साहित्य, कला, दर्शन, तथा विज्ञान का प्रसार अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किया जाए। उसने कहा कि – "भारत के इस भाग के मूल निवासियों के बीच सामान्य रूप से बोली जाने वाली बोलियों में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक जानकारी का अभाव है तथा वे इतनी अपरिष्कृत एवं अविकसित हैं कि जब तक उन्हें किसी अन्य स्रोत से सम्पन्न नहीं किया जाएगा उनमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा।"[12]

उसका निष्कर्ष था कि – "जनता के जिन वर्गों के पास उच्च शिक्षा जारी रखने के साधन मौजूद हैं उनका बौद्धिक सुधार इस समय मौजूद है। उनका बौद्धिक सुधार इस समय किसी ऐसी भाषा के माध्यम से ही हो सकता है जो उनकी मातृभाषा न हो।"[13] उसने अंग्रेजी को संस्कृत तथा फारसी से अधिक उपयोगी बताया।[14]

मैकाले की संतुतियों को लॉर्ड विलियम बैटिंग ने शीघ्र ही स्वीकार कर लिया। साथ ही, मार्च 1835 को अपने संकल्प में कहा कि – "ब्रिटिश सरकार का महान लक्ष्य भारत का मूल निवासियों के बीच यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का संवर्धन करना होना चाहिए। अतः शिक्षा के प्रयोजनार्थ विनियोजित तमाम निधियों को केवल अंग्रेजी शिक्षा के काम में ही लाना ज्यादा अच्छा होगा।"[15]

सन् 1854 के चार्ल्स वुड के आज्ञापत्र में लॉर्ड मैकाले से सहमति प्रकट की गई और यह कहा गया कि – "प्राच्य देशों की उच्च शिक्षा अर्थात् उनकी विज्ञान एवं दर्शनशास्त्र की पद्धति में भारी त्रुटियाँ हैं और जहाँ तक समस्त आधुनिक खोजों एवं सुधार का संबंध है, प्राच्य साहित्य में उनकी भारी कमी है।"[16] आज्ञापत्र में आगे कहा गया कि – "हम भारत में जिस शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं वह ऐसी शिक्षा है जिसका लक्ष्य यूरोप के कला, विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं साहित्य का प्रचार करना या संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है।"

1854 के आज्ञापत्र ने सरकारी नीति को स्थाई आधार दिया। परिणामस्वरूप 1854 से पाश्चात्य ढंग की आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रारम्भ हुई। भारतीय शिक्षा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में निजी भारतीय उद्यमी शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्ध के सम्बन्ध में राज्य की नकारात्मक भूमिका की ही संतुति दी।[17]

परन्तु शासन ने सभी शैक्षिक संस्थाओं के शासन, वित्त एवं कार्यक्रमों पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। शैक्षिक संस्थाओं को पाठ विधि एवं परीक्षा पद्धति के नियोजन एवं परिवर्तन में बहुत थोड़ी आन्तरिक स्वतंत्रता दी गई।

1854 ई. के बाद तीन प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी, मिशनरी एवं भारतीय प्रबन्ध कलाओं के अन्तर्गत, का विकास हुआ। 1882 ई. तक भारतीय प्रबन्ध के अन्तर्गत माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं की संख्या मिशनरी स्कूलों से अधिक थी। 1901 में अधिकांश प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल तथा कॉलेज भारतीयों के प्रबन्ध में थे। यह प्रगति भारत की तत्कालीन जनसंख्या को देखते हुए संतोषजनक नहीं थी। लॉर्ड कर्जन ने सन् 1905 में एक भाषण में कहा कि – "19वीं सदी के अन्त में प्रत्येक पाँच भारतीय ग्रामों में से एक ही में स्कूल है, प्रत्येक चार भारतीय बालकों में से तीन अशिक्षित हैं, प्रत्येक चालीस बालिकाओं में से केवल एक ही शिक्षित है। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की स्थिति भी आशा से कहीं अधिक निम्न स्तर की है।"[18]

1854 की शैक्षिक विज्ञप्ति में अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया था। यद्यपि विज्ञप्ति में यह संतुति प्रस्तुत की गई थी कि शासन का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि – "हम भारत के मूल निवासियों को उन विशाल एवं भौतिक वरदानों को देने के लिए साधन बनें जो लाभप्रद ज्ञान के सामान्य प्रसार से विकसति होते हैं।"[19]

1858 में लॉर्ड ऐलनवर, जो कि नियंत्रण परिषद् के अध्यक्ष थे, ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पत्र लिखा जिसमें शिक्षा की अनिवार्यता की ओर कोई संकेत नहीं दिया गया था।[20]

1854 से 1882 तक की अवधि में प्राथमिक शिक्षा की धीमी प्रगति को देखते हुए शासन ने भारतीय शिक्षा आयोग 1882–83 को यह निर्देश दिया कि वह प्राथमिक शिक्षा के विषय में विशेष ध्यान दे। परिणामस्वरूप, भारतीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा विषय पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया तथा सबसे महत्वपूर्ण संतुतियाँ जनता के बीच प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार से सम्बन्धित थीं, परन्तु फिर भी 1883 में भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं लिखा।

इसके विपरीत ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा को 1860, 1863 एवं 1880 के अधिनियमों के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से आरम्भ कर दिया गया था। 1893–94 में, प्रयोग के रूप में बड़ौदा के महाराजा ने अपनी रियासत के एक मंडल में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करा दी थी। सर चिमन लाल सीतलवाड़ और सर इब्राहिम रहीमतुल्ला जैसे भारतीय नेता पहले से ही अनिवार्य शिक्षा को चलाने की माँग कर रहे थे। 1888 में सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का 1.2 प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त किए था। 1901 में यह 6.3 प्रतिशत था। मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि अंग्रेजी सरकार एक विदेशी सरकार है, इसलिए वह जनता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

19वीं शताब्दी में सरकार की नीति के सन्दर्भ में यही कहा जाएगा कि अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को मुख्यत: इसलिए स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सरकार तथा जनता के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित न हो सकने के कारण अनिवार्यता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता।[21] परिणामस्वरूप, प्राथमिक शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक नहीं रही।

वुड के आज्ञापत्र में आधुनिक भाषाओं के विकास को उपेक्षित नहीं छोड़ा गया था। आज्ञापत्र में स्पष्ट किया गया था कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं मिलकर किस प्रकार उचित शिक्षा का प्रसार करने में सहायता कर सकती है।[22] इस आज्ञापत्र में आगे कहा गया था कि- "किसी भी सामान्य शिक्षा पद्धति में जहाँ भी अंग्रेजी भाषा की माँग हो उसे पढ़ाया जाए। परन्तु इस प्रकार की शिक्षा के साथ-साथ जिले की देशी भाषा के अध्ययन की ओर भी सदैव सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उस देशी भाषा के माध्यम से ही सामान्य शिक्षा भी दी जानी चाहिए।"[23]

आज्ञापत्र में यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के सम्बन्ध में यह कहा गया कि - "हम देशी भाषाओं और अंग्रेजी को ही यूरोपीय ज्ञान के प्रसार का माध्यम समझते हैं।[24] आज्ञापत्र में उच्च श्रेणी के ऐसे सभी विद्यालयों में जो अपेक्षित अहर्ताएं रखने वाले अध्यापक रख सकते हों देशी भाषाएं तथा अंग्रेजी को साथ-साथ पढ़ाया जाए।"[25] साथ ही, आज्ञापत्र में यह स्पष्ट किया गया कि भविष्य में जो भी विश्वविद्यालय प्रारम्भ किए जाएंगे, उनमें भारतीय भाषाओं के आचार्यों को नियुक्त किया जाएगा।[26] वास्तविक रूप में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए वे केवल परीक्षा लेने वाले निकाय ही थे, तथा उन्हें अध्यापन या शोध कार्य के लिए प्राध्यापक नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं था। एक संभावना यह थी कि वे आधुनिक भारतीय भाषाओं में परीक्षाएँ व्यवस्थित करा सकें। परन्तु यह मद्रास एवं पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य में संभव नहीं हो सका। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय रिपोर्ट में विस्तृत रूप से विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में कहा गया था।[27] इस आख्या से स्पष्ट था कि ब्रिटिश अधिकारियों जिनका कि प्रबन्धकारिणी समितियों पर पूर्ण प्रभाव था, ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को उपेक्षित ही छोड़ दिया।

माध्यमिक स्तर पर भी आधुनिक भाषाओं को उपेक्षित छोड़ दिया गया। यद्यपि इस स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी, परन्तु यह वैकल्पिक स्तर पर ही थी। फलस्वरूप, हाई स्कूलों में विस्तृत रूप से आधुनिक भारतीय भाषाओं को उपेक्षित छोड़ दिया गया।

प्रारम्भिक स्कूल स्तर पर स्थानीय भारतीय भाषा को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। इस अन्तराल में, स्कूलों एवं कॉलेजों से आ रहे नवीन बृद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारतीय भाषाओं में कोई रुचि नहीं दिखाई।[28]

इस अन्तराल में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मुख्यत: अंग्रेजी में ही प्रदान की जाती रही। फलस्वरूप, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया।

सन्दर्भ सूची

1. सैयद नुरूल्लाह एवं जे.पी. नायक, 'ए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया' (ड्युरिंग दि ब्रिटिश पीरियड), बम्बई, मैकमिलन कम्पनी, 1951
2. ''मैकाले की शिक्षा विज्ञाप्ति'' ए सोर्स बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन (एम. आर. परांजपे), बम्बई, 1938
3. वुड का डिसपैच (ए सोर्स बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन)', पूर्वोक्त
4. लॉर्ड एलनबरी का डिस्पैच (''ए सोर्स बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन'') पूर्वोक्त
5. रिपोर्ट ऑफ दि इंडियन एजुकेशन कमीशन (1882-83)
6. रिपोर्ट ऑफ दि इंडियन युनिवर्सिटी कमीशन (1904)

7. चार्ल्स ग्रांट के विचार (सैयद महमूद की पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया') पृ. 11.
8. जे.पी. नायक एवं सैयद नुरूल्लाह, शिक्षा का इतिहास, दिल्ली, 1965, पृ. 10
9. पूर्वोवत्त
10. पूर्वोक्त
11. पूर्वोक्त पृ. 103,
12. लॉर्ड मैकाले, मिनिट, 1835 (8) पूर्वोक्त पुस्तक से उद्धृत
13. पूर्वोक्त
14. जे.पी. नायक सैयद नुरूल्लाह, भारतीय शिक्षा का इतिहास, पृ. 66
15. लॉर्ड विलियम बैंटिग का विवरण पत्र, जे.पी. नायक सैयद नुरूल्लाह, पूर्वोक्त पृ. 68
16. 1854 का वुड का आज्ञापात्र, पूर्वोक्त पृ. 120.
17. रिपोर्ट, पृ. 451-52.
18. सर थामस रॉले, लॉर्ड कर्जन इन इंडिया, मैकमिलन एंड कम्पनी, लंदन, 1906, भाग 2, पृ. 68-72.

    "Four out of five Indian villagers were found to be without a school; three out of every four Indian boys go up without any education; only one Indian girl in every forty attend any kind of school. There figures are of course less appalling in a continent of the size, the vast population. ...Higher education was still worse; ...we found in some of the affiliated colleges a low standard of teaching, and a lower of bearing; ill-paid and in sufficient teachers, pupils crowded. It would be futile and arrogant boast to say that we have reformed Indian Education."
19. "The be the means of offering upon the natives so Indian then vast and material blessings which flow from the general diffusion of useful knowledge?" पैरा 2, वुड्स डिसपैच।
20. "Our government does not desire to assist in the education of a single child not brought to the school with the full, voluntary, unsolicited consent of its parents" पैरा 8
21. जे.पी. नायक सैयद नुरूल्लाह, भारतीय शिक्षा का इतिहास, पृ. 204-205
22. जे.पी. नायक, पूर्वोक्त, पृ. 205,
23. जे.पी. पूर्वोक्त, पृ. 121.
24. वुड डिसपैच।
25. जे.पी. नायक, पूर्वोक्त
26. पूर्वोक्त
27. पैरा 32
28. सैयद नुरूल्लाह ऐंड जे.पी. नायक, ए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, पूर्वोक्त, पृ. 292.

❐❐❐